



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-24012025-260429
CG-TL-E-24012025-260429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2025/माघ 2, 1946

No. 379]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2025/MAGHA 2, 1946

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 12 दिसम्बर, 2024

का.आ. 383(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, “रामगुंडम और पेहंमपेट स्टेशन यार्ड के बीच में किमी 270/26-28 पर समपार फाटक सं. 52(एम) के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के पेहंपल्ली ज़िले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. W.Con/RSP/Gazette /37A/LC.No.52(M)/KZJ-BPQ/SC]

मनोज कुमार, मुख्य इंजीनियर /निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 30th December, 2024

S.O. 383(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 52(M) at Km. 270/26-28 at Ramagundam— Peddampet stations Yard" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the District of Peddapalli for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. W.Con/RSP/Gazette /37A/LC.No.52(M)/KZJ-BPQ/SC]

MANOJ KUMAR, Chief Engineer/C/RSP